वन्य प्राणी लेन देन और पशुओं की खाल में मसाला लगाने की कला, केन्द्रीय नियम, 1973

[WILD LIFE (TRANSACTION AND TAXIDERMY) RULES, 1973]

कृषि मन्त्रालय (कृषि विभाग)

जी. एस. आर. 1987 (ई) दिनांक 9 अप्रैल, 1973, वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (क्र. 53, सन् 1972) की धारा 63 की उपधारा (1) के खंड (ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, केन्द्रीय शासन एतद्द्वारा निम्न नियम बनाता है, यथा -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ - (1) ये नियम "वन्य प्राणी (लेन-देन और पशुओं की खाल में मसाला लगाकर तैयार करने की कला (टैक्सी डर्मी) नियम, 1973" कहलायेगा।

(2) ये नियम पूर्ण बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य में लागू होंगे।

(3) ये नियम पूर्ण 9-4-73 से प्रभावशील होंगे।

2. परिभाषाएँ - इन नियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो -

(अ) "अधिनियम" से तात्पर्य 'वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 53, वर्ष 1972)' से है।

(ब) "प्रारूप" से तात्पर्य इन नियमों के साथ संलग्न प्रारूप से है।

(स) "अनुज्ञप्ति" से तात्पर्य अधिनियम के अध्याय 5 के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति से है।

(द) "पदाधिकारी" का तात्पर्य मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक या अन्य कोई पदाधिकारी है, जिसको राज्य शासन इन प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करता है।

(ई) "विनिर्दिष्ट पशु" (Specified animal) से तात्पर्य कोई पशु जो अधिनियम की अनुसूचि एक या अनुसूचि दो के भाग (2) में विनिर्दिष्ट है और जो - (1) पकड़े गये, रखे गये या बन्दी अवस्था में जन्मे या (2) प्रकृति में जंगली पाये गये हैं।

3. विशेष पशुओं को नियन्त्रण, संरक्षण या कब्जे में प्राप्त करना, लेना, रखना, आदि या पशुओं की खाल में मसाला लगाकर वास्तविक रूप से तैयार करने की प्रक्रिया करना या सामग्री बनाना आदि : (1) कोई भी अनुज्ञप्तिधारी, पदाधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना -

(अ) किसी विनिर्दिष्ट पशु या कोई पशु, उससे निकली सामग्री, ट्राफी, बिना उपचार की ट्राफी, या माँस को अपने नियंत्रण, संरक्षण, या कब्जे में अर्जन नहीं करेगा, नहीं लेगा, नहीं रखेगा या

(ब) पशुओं की खाल में मसाला लगाकर वास्तविक रूप से तैयार करने की प्रक्रिया नहीं करेगा या उक्त पशु का पूरा या अंश में पशु सामग्री नहीं बनायेगा।

(2) उक्त अनुमति के लिये प्रत्येक आवेदन प्रारूप 1 में दिया जायेगा।

(3) उपनियम (2) के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर पदाधिकारी ऐसी जांच करने के बाद, जैसी वह उचित समझे, और आवेदन पत्र प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर, अनुमति दे सकता है या अनुमति देने से अस्वीकार कर सकता है :

परन्तु उक्त अनुमति तब तक नहीं दी जावेगी जब तक कि पदाधिकारी इस बात से सन्तुष्ट नहीं हो जाता है कि विनिर्दिष्ट पशु या पशु सामग्री, ट्राफी, बिना उपचार की ट्राफी या माँस, उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट अनुसार वैध रूप से अर्जित किया गया है।

(4) जब पदाधिकारी अनुमति देने से अस्वीकार करे तो वह ऐसा करने के लिए कारण लिखेगा और ऐसे लिखे कारणों की एक प्रति अनुमति के लिए आवेदन देने वाले अनुज्ञप्तिधारी को भेजेगा।

(5) उपनियम (3) के अन्तर्गत प्रदान की गई अनुज्ञप्ति प्रारूप (2) में होगी।

4. स्टाक का प्रतिवेदन : (1) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, जिसे नियम 3 के उपनियम (3) के अन्तर्गत अनुमति प्रदान की गई है वह नियम 3 के उपनियम (1) के निर्देशानुसार विनिर्दिष्ट पशु या पशु सामग्री ट्राफी,

बिना उपचार की ट्राफी, या मांस के स्टाक के सम्बन्ध में प्रतिवेदन उसको अपने नियंत्रण, संरक्षण या कब्जे में अर्जित करने, प्राप्त करने, रखने की [1](तीन) दिनों के अन्दर उस पदाधिकारी को, जिसने अनुमति प्रदान की है, प्रस्तुत करेगा।

उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद, पदाधिकारी उक्त स्टाक पर पहिचान चिन्ह अंकित करने का प्रबन्ध कर सकता है।

5. विनिर्दिष्ट पशु की बिक्री आदि : (1) कोई भी अनुज्ञप्तिधारी, व्यवसायी, पदाधिकारी की अनुमति द्वारा खरीदने के लिए अधिकृत व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई विनिर्दिष्ट पशु या कोई पशु सामग्री, उससे प्राप्त ट्राफी या बिना उपचार की ट्राफी केा नहीं बेचेगा, बेचने के लिए आमंत्रित नहीं करेगा और बिक्री हो आये तो बेचने वाला अनुमति को अनुज्ञप्ति व्यवसायी को दे देगा।

(2) खरीदने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र प्रारूप 4 में दिया जायेगा।

(3) उपनियम (2) के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त होने पर, पदाधिकारी, ऐसी जांच करने के बाद, जैसी वह उचित समझें, और आवेदन पत्र प्राप्त होने के दस दिन के अन्दर अनुमति दे सकता है या अनुमति देने से अस्वीकार कर सकता है।

(4) जब पदाधिकारी अनुमति देने से अस्वीकार करे तो वह ऐसा करने के लिए कारण लिखेगा और ऐसे लिखे गये कारणों की एक प्रति अनुमति के लिए आवेदन देने वाले व्यक्ति को देगा।

(5) उपनियम (3) के अन्तर्गत दी गई प्रत्येक अनुमति प्रारूप 5 में होगी।

(6) उपनियम (3) के अन्तर्गत प्रदान की गई अनुमति, उसके जारी होने की तिथि से, एक माह की तिथि तक वैध होगी।

(7) उपनियम (1) में निर्देशित प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, प्रत्येक बिक्री के समय, विनिर्दिष्ट पशु या पशु सामग्री ट्राफी, या बिना उपचार की ट्राफी के सम्बन्ध में प्रमाणक, खरीदने के लिए अधिकृत व्यक्ति को देगा।

(8) प्रत्येक प्रमाणक (Voucher) में निम्नलिखित विवरण समाविष्ट होंगे। यथा-

(क) प्रमाणक जारी करने की तिथि।

(ख) कीमत जो ली गई या जो ली जाएगी।

(ग) प्रमाणक देने वाले अनुज्ञप्तिधारी टैक्सी डर्मिस्ट या निर्माता का नाम एवं पता।

(घ) जिस व्यक्ति को प्रमाणक दिया गया उसका नाम एवं पता।

(ङ) अधिकृत क्रेता की अनुमति का क्रमांक।

(च) ट्राफी, पशु सामग्री का विवरण एवं संख्या।

(छ) वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (क्र. 53, वर्ष 1972) की धारा 40 या 44 के अन्तर्गत क्या बिना उपचारित ट्राफी/ट्राफी/पशु सामग्री को घोषित करने की आवश्यकता थी, यदि हाँ तो क्या वे/वह घोषित किये गये।

(ज) प्रमाणक जारी करने वाले अनुज्ञप्तिधारी, टैक्सी डर्मिस्ट (Taxidermist), निर्माता के हस्ताक्षर।

(झ) जिस व्यक्ति को प्रमाणक दिया उसके हस्ताक्षर।

6. पशुओं की खाल में मसाला लगाकर वास्तविक रूप से तैयार करना या पशु सामग्री बनाना : (1) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी पशुओं की खाल में मसाला लगाकर वास्तविक रूप से तैयार करने वाला (Taxidermist) या अनुज्ञप्तिधारी निर्माता, ट्राफी या पुश सामग्री वापस करते समय ट्राफी या पशु सामग्री के स्वामी को प्रमाणक (Voucher) देगा।

(2) प्रत्येक प्रमाणक में निम्नलिखित विवरण समाविष्ट होंगे। यथा -

(क) प्रमाणक जारी करने की तिथि।

(ख) कीमत जो ली गई या जो ली जाएगी।

(ग) प्रमाणक देने वाले अनुज्ञप्तिधारी टैक्सी डर्मिस्ट या निर्माता का नाम एवं पता।

(घ) जिस व्यक्ति को प्रमाणक दिया गया उसका नाम एवं पता।

(ङ) अधिकृत क्रेता की अनुमति का क्रमांक।

(च) ट्राफी, पशु सामग्री का विवरण एवं संख्या।

(छ) वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (क्र. 53, वर्ष 1972) की धारा 40 या 44 के अन्तर्गत क्या बिना उपचारित ट्राफी/ट्राफी/पशु सामग्री को घोषित करने की आवश्यकता थी, यदि हाँ तो क्या वे/वह घोषित किये गये।

7. प्रमाणकों का सुरक्षित रखा जाना : (1) नियम (5) या (6) में निर्देशित प्रमाणक तीन पतों में होगा और अनुक्रम से संख्या अंकित होगी।

(2) प्रमाणक की द्वितीय एवं तृतीय प्रति, अनुज्ञप्तिधारी व्यवसायी, अनुज्ञप्तिधारी टैक्सी डर्मिस्ट या अनुज्ञप्तिधारी निर्माता द्वारा रोकी जायेगी और प्रमाणक की मूल प्रति नियम 5 के उपयिम (7) या नियम 6 के उपनियम (1) में उल्लिखित व्यक्ति को दी जायेगी।

(3) कोरे प्रमाणक वाली प्रत्येक पुस्तिका, उपयोग में लाये जाने के पूर्व, उक्त पुस्तिका में हस्ताक्षर या स्टाम्प अंकित करने के लिए पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

(क) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी व्यवसायी अनुज्ञप्तिधारी टैक्सी डर्मिस्ट या अनुज्ञप्तिधारी निर्माण उसके द्वारा रोके गये द्वितीय प्रमाणकों को प्रत्येक माह के सातवें दिन तक पूरे माह के जारी व्हाउचर, पदाधिकारी को भेजेगा।

(ख) अनुज्ञप्तिधारी व्यवसायी को बिक्री के समय दिये गये प्रत्येक अनुमति पत्र को पूर्व कथित द्वितीय प्रतियों के साथ संलग्न किया जायेगा।

8. विनिर्दिष्ट पशु परिवहन : (1) कोई भी अनुज्ञप्तिधारी, पदाधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी विनिर्दिष्ट पशु, पशु सामग्री, ट्राफी, या उससे प्राप्त बिना उपचारित ट्राफी को राज्य के अन्दर एक स्थान से दूसरे स्थान को परिवहित नहीं करेगा।

(2) उक्त अनुमति के लिये प्रत्येक आवेदन पत्र प्रारूप 6 में दिया जायेगा।

(3) उपनियम (2) में आवेदन प्राप्त होने पर, पदाधिकारी, ऐसी जांच के बाद, जैसी वह उचित समझे, और आवेदन प्राप्त होने के सात दिन के अन्दर अनुमति दे सकता है या अनुमति देने से अस्वीकार कर सकता है।

परन्तु उक्त अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी, जब तक कि पदाधिकारी, इस बात से सन्तुष्ट नहीं हो जाता है कि विनिर्दिष्ट पशु या पशु सामग्री, ट्राफी, बिना उपचार की ट्राफी, उपनियम (1) में निर्देशित अनुसार वैध रूप से अर्जित की गई है।

(4) जब पदाधिकारी अनुमति देने से अस्वीकार करे, तो वह ऐसा करने के लिए कारण लिखेगा ओर ऐसे लिखे गये कारणों की एक प्रति अनुमति के लिए आवेदन देने वाले को भेजेगा।

(5) उपनियम (3) के अन्तर्गत प्रत्येक अनुज्ञप्ति प्रारूप 7 में होगी।

9. अपील : (1) मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक या नियम 3 के उपनियम (3), नियम 5 के उपनियम (3) या नियम 3 के उपनियम (3) के अन्तर्गत अनुमति प्रदान करने वाले पदाधिकारी के आदेश से असन्तुष्ट कोई अनुज्ञप्तिधारी या व्यक्ति-

(अ) यदि आदेश मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी द्वारा पारित किया गया है तो मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक को।

(ब) यदि आदेश मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा पारित किया है, तो राज्य शासन को अपील कर सकता है।

(2) नियम 1 के उपनियम (1) के अन्तर्गत मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा अपील में पारित आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य शासन को होगी।

(3) कोई भी अपील स्वीकार नहीं की जायेगी जब तक कि, जिस आदेश के विरूद्ध अपील की जा रही है उसे आवेदक को प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर न की गई हो :

परन्तु अपीलीय अधिकारी पूर्व कथित अवधि के समाप्त होने के बाद भी, कोई अपील स्वीकार कर सकता है, यदि वह सन्तुष्ट हो जाये कि अपील समय में प्रस्तुत न करने के लिए अपीलार्थी के पास समुचित कारण है।

नोट : वन्य प्राणी या वन पशु सामग्री (Legal Procurement Certificate) के विधिपूर्वक प्राप्ति का प्रमाण पत्र, के एक राज्य से दूसरे राज्य में निर्यात करने के सम्बन्ध में भारत शासन, कृषि मन्त्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के पत्र क्र. 1-21/78/PRY/(WL) दिनांक 10-2-82 के द्वारा निर्देशित किया है कि जब तक व्यवसायी (Dealer) अपनी वस्तु दूसरी राज्य में स्थित, दूसरे व्यवसायी को भेजेगा तो प्राप्त करने वाला व्यवसायी अपने राज्य के मुख्य वन अभिरक्षक से नया विधिपूर्वक, प्राप्ति का प्रमाण-पत्र (Legal Procuement Certificate) प्राप्त करेगा।

प्रारूप "1"

(नियम 3 का उपनियम (2) के अन्तर्गत)

विनिर्दिष्ट पशु सामग्री आदि को अर्जन करने, प्राप्त करने, रखने के लिए या टैक्सी डर्मी की प्रक्रिया के अन्तर्गत रखने या पशु सामग्री बनाने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र,

प्रति,

महाशय,

मैं ..... पिता का नाम ..... निवासी ..... तहसील ..... जिला ..... प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (क्र. 53, वर्ष 1972) की धारा 44(4) के अन्तर्गत स्वीकृत अनुज्ञप्ति क्र. ..... धारित करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मुझे विनिर्दिष्ट पशु/विनिर्दिष्ट पशु से प्राप्त सामग्री/ट्राफी /बिना उपचारित ट्राफी/पशु मांस/को मेरे नियंत्रण में/संरक्षण/कब्जे में अर्जित करने/प्राप्त करने/रखने और या उक्त पशु के अंश/पूरे को टैक्सीडर्मी की प्रक्रिया के अन्तर्गत रखने/पशु सामग्री बनाने की अनुमति दी जाये।

2. मैं उक्त विनिर्धिष्ट पशु/पशु सामग्री/ट्राफी/बिना उपचारित ट्राफी/मांस के सम्बन्ध में निम्न विवरण प्रस्तुत करता हूँ।

(1) पशु का प्रकार .....

(2) संख्या .....

(3) वर्णन (लिंग यदि संभव हो) .....

(4) साधन जिससे प्राप्त करना है .....

(अ) पता और अनुज्ञप्ति क्रमांक (यदि हों) .....

(ब) क्या व. प्रा. (सं.) अधिनियम, 1972 की .....
धारा 40, 43, 44 के अन्तर्गत उदघोषित हुई .....
अनुमति/अनुज्ञप्ति प्राप्त की गई .....

(5) स्वामित्व के प्रमाण पत्र का विवरण .....

(6) पहिचान चिन्ह यदि कोई हो .....

(7) स्थान जहाँ रखना है .....

(8) नियंत्रण/संरक्षण/अर्जन/प्राप्त करने का प्रयोजन

(9) टेक्सीडर्मी की प्रक्रिया के अन्तर्गत रखे जाने या पशु सामग्री बनाने वाली :

(अ) ट्राफी या सामग्रियों की संख्या .....

(ब) उक्त ट्राफी/सामग्री का विवरण .....

(स) किसको वापस की जावेगी .....

(द) संभावित तिथि जिसके अन्दर वापस की जावेंगी .....

(इ) मैं उदघोषित करता हूँ कि मेरे ज्ञान तथा विश्वास से उपरोक्त जानकारियां पूर्ण एवं सत्य हैं।

.....

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रारूप "2"

(नियम 5 के उपनियम (5) के अन्तर्गत)

विनिर्दिष्ट पशु/पशु सामग्री/को अर्जन करने, प्राप्त करने, रखने के लिए या टैक्सीडर्मी की प्रक्रिया के अन्तर्गत रखने या पशु सामग्री बनाने की अनुमति।

श्री..... वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (क्र. 53, वर्ष 1972) की धारा 44(4) के अन्तर्गत प्रदत्त अनुज्ञा क्र. ..... के अनुज्ञप्तिधारी को एतद्द्वारा निम्न वर्णित विनिर्दिष्ट पशु या विनिर्दिष्ट पशु से प्राप्त पशु सामग्री/ट्राफी/बिना उपचारित ट्राफी/ मांस को मेरे अपने नियंत्रण/संरक्षण/कब्जा में अर्जन करने के लिए/रखने के लिए/ या उक्त पशु के अंश या पूरे को टैक्सीडर्मी की प्रक्रिया में रखने या पशु सामग्री बनाने की अनुमति दी जाती है :

(1) पशु का प्रकार .....

(2) वर्षन (लिंग, यदि आवेदन में दिया हो) .....

(3) संख्या .....

(4) साधन जहां से प्राप्त करना है .....

(5) साधन जहाँ से प्राप्त करना है उसक अनुज्ञप्ति क्र. .....

(6) स्वामित्व के प्रमाण-पत्र का विवरण .....

(7) पहिचान चिन्ह यदि हो .....

(8) स्थान जहाँ रखना है .....

(9) कार्य जिसके लिये नियन्त्रण/संरक्षण/कब्जा में अर्जन प्राप्त करने/रखने की अनुमति दी गई .....

(10) यदि टैक्सीटर्मी की प्रक्रिया में रखने के लिए या पुश सामग्री बनाने के लिए अनुमति दी गई तो .....

(अ) बनाई जाने वाली ट्राफी की संख्या .....

(ब) उक्त ट्राफी या सामग्री का वर्णन .....

(स) वे किसको वापस की जावेंगी .....

(द) संभावित तिथि जिसके अन्दर वापस की जावेंगी .....

मेरे द्वारा आज दिनांक ..... को निर्गमित।

मुहर हस्ताक्षर

स्थान पद

दिनांक

प्रारूप "3"

(नियम 4 का उपनियम (1) के अन्तर्गत)

स्टाक का प्रतिवेदन

प्रति,

(1) अनुज्ञप्तिधारी का पूरा नाम, ...

पता ओर अनुज्ञप्ति क्रमांक .....

(2) प्रतिवेदन की तिथि को विनिर्दिष्ट पशु का धारित स्टाक -

(अ) प्रकार और लिंग .....

(ब) संख्या .....

(स) युवा या बच्चा .....

(द) स्थान जहाँ रखा है .....

(3) प्रतिवेदन की तिथि को पशु सामग्रियों का धारित स्टाक -

(अ) वर्णन (जिस पशु से प्राप्त उसके प्रकार साहित) .....

(ब) संख्या .....

(स) नाप या वजन .....

(द) स्थान जहाँ रखा है .....

(4) प्रतिवेदन की तिथि को ट्राफी का धारित स्टाक -

(अ) वर्णन (जिस पशु से प्राप्त उसके प्रकार साहित) .....

(ब) संख्या .....

(स) नाप या वजन .....

(द) स्थान जहाँ रखा है .....

(5) प्रतिवेदन की तिथि को बिना उपचारित ट्राफी का धारित स्टाक -

(अ) वर्णन (जिस पशु से प्राप्त उसके प्रकार साहित) .....

(ब) संख्या .....

(स) नाप या वजन .....

(द) स्थान जहाँ रखा है .....

(6) टिप्पणी .....

मैं उदघोषित करता हूँ कि मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से उल्लिखित जानकारी सत्य और पूर्ण है।

मेरे द्वारा आज दिनांक ..... को निर्गमित।

स्थान

दिनांक उदघोषणा करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

प्रारूप "4"

(नियम 5 का उपनियम (2) के अन्तर्गत)

विनिर्दिष्ट पशु आदि खरीदने की अनुमति के लिए आवेदन

विनिर्दिष्ट पशु सामग्री आदि को अर्जन करने, प्राप्त करने, रखने के लिए या टैक्सी डर्मी की प्रक्रिया के अन्तर्गत रखने या पशु सामग्री बनाने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र,

प्रति,

.....

महाशय,

मैं/हम ..... निवासी ..... तहसील ..... जिला ..... प्रार्थना करता/करते हैं कि निम्न वर्णित विनिर्दिष्ट पशु/विनिर्दिष्ट पशु से प्राप्त सामग्री/ट्राफी /बिना उपचारित ट्राफी/अनुज्ञप्तिधारी से खरीदने के लिए मुझे/हमको अनुमति दी जाये।

(1) संख्या एवं वर्णन .....

(अ) विनिर्दिष्ट पशु .....

(ब) पशु सामग्री .....

(स) ट्राफी .....

(2) कार्य जिसके लिये खरीदी करना हैं -

(3) मैं/हम मैं उदघोषित करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से यहां पर दी जानकारियाँ सत्य एवं पूर्ण हैं।

स्थान

दिनांक आवेदकों के हस्ताक्षर

प्रारूप "5"

(नियम 5 के उपनियम (5) के अन्तर्गत)

विनिर्दिष्ट पशु आदि खरीदने की अनुमति।

श्री ..... निवासी ..... को एतद्द्वारा निम्न वर्णित विनिर्दिष्ट पशु/विशिष्ट पशु से प्राप्त पशु सामग्री/ट्राफी/बिना उपचारित ट्राफी ..... से कार्य के लिए खरीदने की अनुमति दी जाती है।

वर्णन एवं संख्या -

(अ) विनिर्दिष्ट पशु .....

(ब) पशु सामग्री .....

(स) ट्राफी .....

(द) बिना उपचारित ट्राफी।

मेरे द्वारा आज दिनांक ..... को निर्मित मुहर

स्थान हस्ताक्षर

दिनांक पद

नोट - यह अनुमति निर्गमन तिथि से एक माह के अन्दर वैध रहेगी।

प्रारूप "6"

(नियम 8 के उपनियम (2) के अन्तर्गत)

(विनिर्दिष्ट पशु आदि को परिवहन करने की अनुमति के लिये आवेदन)

प्रति,

.....

मैं ..... निवासी ..... तहसील ..... जिला ..... ने प्राणी (संरक्षण अधिनियम, 1972 (क्र. 53, सन् 1972) की धारा 44(4) के अन्तर्गत स्वीकृत अनुज्ञप्ति क्रमांक ..... धारित करता हूँ और मुझे निम्नलिखित परिवहन करने की अनुमति प्रदान की जावे :

(1) विनिर्दिष्ट पशु का प्रकार या पशु .....
सामग्री/उपचारित ट्राफी/बिना उपचार
की ट्राफी जो प्राप्त की गई हैं।

(2) संख्या .....

(3) वर्णन (लिंग यदि संभव हो) .....

(4) पहिचान चिन्ह यदि कोई हो .....

(5) प्राप्त करने का साधन और .....
लाईसेन्स/अनुमति क्रमांक .....

(6) स्वामित्व का प्रमाण-पत्र .....
यदि कोई हो।

(7) परिवहन का प्रकार .....

(8) मार्ग .....

(9) परिवहन के लिये आवश्यक अवधि .....

(10) पहुँच स्थान .....

मैं उदघोषित करता हूँ कि मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से यहाँ पर दी गई जानकारियाँ सत्य और पूर्ण हैं।

स्थान

दिनांक आवेदक के हस्ताक्षर

प्रारूप "7"

(नियम 8 के उपनियम (5) के अन्तर्गत)

(विनिर्दिष्ट पशु आदि को परिवहन करने की अनुमति के लिये आवेदन)

श्री ..... वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (क्र. 53, वर्ष 1972) की धारा 44(4) के अन्तर्गत प्रदत्त अनुज्ञा क्रमांक ..... के अनुज्ञप्तिधारी को एतद्द्वारा निम्न विनिश्चित प्रकार के विनिर्दिष्ट पशु/से प्राप्त पशु सामग्री-ट्राफी-अन उपचारित ट्राफी को ..... तक परिवहन करने की अनुमति दी जाती है।

(1) परिवहन का प्रकार .....

(2) मार्ग .....

(3) परिवहन के लिए स्वीकृत अवधि .....

(4) कैफियत .....

मुहर

स्थान हस्ताक्षर

दिनांक पद

जो अनावश्यक हो, काट दें।